



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं: NCST/DEV-6599/MH/49/2025-RU-1

दिनांक: 06.04.2026

जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-रायगढ़,
जिला कलेक्टर कार्यालय,
हिराकोट झील के पास, तहसिल-अलीबाग,
रायगढ़-402201 (महाराष्ट्र)
ई-मेल: collector.raigad@maharashtra.gov.in

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय),
महाराष्ट्र सरकार
ठाणे का कार्यालय
वनभवन, बारा बंगले क्षेत्र,
माइक्रोवेव टॉवर के पास, कोपरी कॉलोनी
ठाणे पूर्व, ठाणे-400 603, महाराष्ट्र
ई-मेल: ccftthane@mahaforest.gov.in

विषय: मौजा कुने, तालुका अलीबाग, जिला रायगढ़ के आदिवासी प्लॉट धारकों को भूमि आवंटन से संबंधित शिकायत के संदर्भ में दिनांक 29.11.2025 को श्री भगवान शंकर नाईक एवं अन्य से प्राप्त याचिका।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 22.01.2026 (प्रति संलग्न)।

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के क अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष 1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 20.04.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी समतल मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को वाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
ई-मेल: chetan.sharma777@ncst.nic.in
दूरभाष: 011-24601346

प्रतिलिपि सूचनाएं:-

श्री भगवान शंकर नाईक,
आदिवारी वाड़ी,
वरंडे पाडा, अलिबाग,
रायगढ़, महाराष्ट्र 402204,
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में
आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।